

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग

जयपुर-302 001

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों का प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निर्माणाखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, 1[खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां; शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के माध्दम प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 10/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासो आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका कोई प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उन पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेंगे।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. रजि. एवं पृष्ठ 24 पर देखे।

नोट :



राजनिवारु जैसल
अध्यक्ष



लक जम
ही जमा

3

हरि अमर उस्ता
मंत्री

हस्ताक्षर
न किये जाने



सुनीता
कोषाध्यक्ष

रजि. एवं पृष्ठ 24 पर देखे।

श्री रामरूप शतपुत्र अंगुवाल हेज्ज के सनत एण्ड रिजर्व समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम श्री रामरूप शतपुत्र अंगुवाल हेज्ज के सनत एण्ड रिजर्व सोसाइटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है/रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मठावर (जिला दोसा) है तथा कार्यक्षेत्र:- दोसा जिला - तथा इसका कार्यक्षेत्र जि. दोसा क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. नशीब विहीन सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, प्रथमरी से महाविद्यालय स्तर तक
2. मानव जाति के कल्याण हेतु एवं उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार करना
3. विशेष सहायता विकास एवं अनुसंधान कार्य करना तथा तकनीकी
4. शैक्षणिक विकास की शैक्षणिक इकायों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना
- 5.
- 6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4

मानव वासुदेव 5
अध्यक्ष

मन्त्री

Shree Anand

संजीव

कोषाध्यक्ष

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5



मानव बाहगोपल
अध्यक्ष

Minister
मंत्री

संगीत
कोषाध्यक्ष

संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-


नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
रामनिवास गोयल श्री राम स्वरोप मण्डल	व्यापार	C/0 रामनिवास एजुकेशन मण्डल मंडवा रोड जि. दौल	अध्यक्ष
डा० हरि ओम गुप्ता श्री मोहन लाल गुप्ता	डाक्टर	C/0 रोड एडवाइजरी मण्डल जि. दौल	मन्त्री
संगीता पाण्डे मण्डल	गृहणी	पुराना बास एस्टेट के पास मण्डल जि. दौल	कोषाध्यक्ष
पूजा गुप्ता श्री लक्ष्मण गोयल	गृहणी	C/0 सिडल एजुकेशन इम्प्लीमेंट मण्डल जि. दौल	उपाध्यक्ष
शशिधर पाण्डे श्री राम स्वरोप पाण्डे	व्यापारी	C/0 शशिधर एजुकेशन मण्डल मंडवा रोड जि. दौल	सदस्य
राजेंद्र प्रसाद गुप्ता श्री कलश चन्द	अध्ययन	पट्टोल पत्र के पास मण्डल जि. दौल	सदस्य
पूजा चन्द गोयल श्री राम अवतार गोयल	व्यापारी	हेल्थ कम्पनी के पास मण्डल जि. दौल	सदस्य
दुर्गा प्रसाद जैश श्री सरवन लाल जैश	व्यापारी	मुनार कालानी मण्डल जि. दौल	सदस्य
राम स्वरोप प्रीत श्री जीवन प्रीत	व्यापारी	रोड का बास मण्डल जि. दौल	सदस्य

नवागोयल
A...

मन्त्री
Handwritten signature

संगीता
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10				
11				
12				
13				
14				
15				



मि. वा. गौ. 5
अध्यक्ष

Newer last
मंत्री

संजीता
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श.मनिवास गौयल डा. श्री रामस्वरूप गौयल	व्यापार	निवासी मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	श.मनिवास गौयल
2.	हरिऔध गुप्ता डा. श्री मोहन लाल गुप्ता	डॉक्टर	निवासी मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	हरिऔध गुप्ता
3.	संगीता अग्रवाल प। श्रीगोेश अग्रवाल	गृहणी	निवासी - मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	संगीता
4.	वीना अग्रवाल प। अजय गुप्ता	गृहणी	इन्ड्रा कालेनी दौसा	वीना अग्रवाल
5.	पूजा गुप्ता प। पदम गौयल	गृहणी	निवासी मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	पूजा गुप्ता
6.	श.शैश्याम गर्ज डा. श्री रामस्वरूप गर्ज	व्यापार	निवासी - मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	श.शैश्याम गर्ज
7.	श.जेन्द्र प्रसाद गुप्ता डा. श्री कैलाश चन्द गुप्ता	अध्यापक	निवासी - मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	श.जेन्द्र प्रसाद गुप्ता
8.	श.शैश्याम गर्ज डा. श्री रामस्वरूप गर्ज	अध्यापक	निवासी - मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	श.शैश्याम गर्ज
9.	दुर्गा प्रसाद जोशी डा. सरवन लाल जोशी	अध्यापक	निवासी - मण्डावर तह. महवा जिला - दौसा (राज.)	दुर्गा प्रसाद जोशी

श.मनिवास गौयल
अध्यक्ष

हरिऔध गुप्ता
मन्त्री

संगीता
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.

नाम व पिता का नाम

व्यवसाय

पूर्व पत्र

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

अध्यक्ष

मन्त्री

संजीता कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

सुभाष चन्द्र बोस
अध्यक्ष

11
मन्त्री


संगीता
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

07/05/2007-08

(1) संख्या...
 (2) मंत्रालय... श्रीरमस्वयं उग्रवाल एच.के.एस. एड. रिसर्च से
 (3) पिता का नाम... सेव विद्यालय
 (4) पता... सात
 (5) दिनांक... 05/05/07
 (6) हस्ताक्षर राजस्टर... 05/07

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

 1. हस्ताक्षर

Attest
 व्याख्याता
 राष्ट्रीय महाविद्यालय, दिल्ली (साक्षी)
 2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
 वज्रवारी लाल S/O गिराज उसाद गोपल
 C/O हिन्दुस्तान आर्ट मोबिल
 New पुराना बसस्टैंड, मण्डाकर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
 श्री ओमप्रकाश शंकर मजीलाल
 पुराने बसस्टैंड के पास
 मु. प्र. मण्डाकर

नोट : शपथ पत्र नोंटेरी पब्लिक अथवा यजुप्रति अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा।

हस्ताक्षर... के...
 हस्ताक्षर...
 नका... 12...
 नका...
 मन्त्री...
 रजिस्ट्रार सस्थाए
 बोसा

मान लाल गोपल S Attest
 अध्यक्ष
 व्याख्याता
 राष्ट्रीय महाविद्यालय

13/05/07
 रजिस्ट्रार सस्थाए
 बोसा

श्री राम स्वयंसेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

- संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम श्री राम स्वयंसेवा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
एड. रिसर्च. लोहायदी मेडावर (जि० बीहा)
- पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय है
तथा कार्यक्षेत्र:- जिला बीहा
तथा इसका कार्यक्षेत्र जि० बीहा क्षेत्र तक सीमित होगा।
- संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- वर्षी विद्यार्थी, सर्वजनिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना प्रारम्भ से महाविद्यालय स्तर तक
- मानव जाति के कल्याण हेतु एवं उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार करना
- शिक्षा संबंधी विकास एवं अनुसंधान कार्य करना
- विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक उच्चा तकमि की प्रोत्साहन दिने कोने की व्यवस्था करना
-
-

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

13

अध्यक्ष

मंत्री

संगीता कोषाध्यक्ष

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.

15.



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

मानव विकास
अध्यक्ष

मंत्री

संगीत
कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :-

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-

- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
- 2- बालिग हों।
- 3- पागल, दीवालिये न हों।
- 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
- 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
 - 2- विशिष्ट
 - 3- सम्माननीय
 - 4- साधारण
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक राशि..... NIL वार्षिक/आजन्म

2- विशिष्ट राशि..... NIL वार्षिक/आजन्म

3- सम्माननीय राशि..... NIL वार्षिक

4- साधारण राशि..... 50/- वार्षिक

उक्त राशि एक मूहत अथवा रु. 151.000 रु. 30 वार्षिक को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1- मृत्यु होने पर

2- त्याग पत्र देने पर

3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4- प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष

15
मन्त्री

संगीता
कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्रों द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी किन्तु विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्रों/अध्यक्ष द्वारा 15 दिनों के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्रों द्वारा बैठक मजबूत की जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस देकर बैठक का स्थगन कर सकते हैं तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

कारिणी

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

- 1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक
- 3. मंत्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक
- 5. सदस्य-सप्त-पान्च

लिखित

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

कारिणी का

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

कारिणी के

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नालेखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/विष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

21/11/25

Handwritten signature and name 'मंत्री'

Handwritten signature and name 'कोषाध्यक्ष'

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
- 1- कार्यकारिणी को वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती हैं।
 - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
 - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक को सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

- 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आहूत करना।
- 4- संस्था के प्रतिनिधित्व करना।
- 5- सचिदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

प्रबन्धकारिणी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

1. मा. व. 11/2011 प. 5
अध्यक्ष

मंत्री

संजीव
कोषाध्यक्ष

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- ~~उपमंत्री :-~~


- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-



- 1- उस प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

मि. वि. वि. वि.
अध्यक्ष

मन्त्री

संजीव
कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी फोटो प्रति प्रमाणित हार्विन रिकार्ड के अनुसार संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी विशेषाधिकार :- संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

हस्ताक्षर पढ़ने वाले के 0 रु.
हस्ताक्षर सुनने वाले के 1-अध्यक्ष 3000/- रु.
नकल हेतु उचित रूप देने की दि. 01/06/07 2000/- रु.
नकल तैयार करने की दि. 01/06/07 कोषाध्यक्ष 1000/- रु.
नकल देने की दि. 01/06/07

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक रजिस्ट्रार संस्था की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

दौसा

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्था (दौसा) को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) श्री राम स्वयंसेवक संघ दौसा

के संस्था रजिस्ट्रार संस्था (दौसा) समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है। साइटी मॉडर

रामान बाहगोप 9
अध्यक्ष

श्री राम स्वयंसेवक संघ
मंत्री

संगीता
कोषाध्यक्ष

दौसा/2007-08

- (1) संस्था का नाम
- (2) संस्था का पता
- (3) अध्यक्ष
- (4) दस्तावेज
- (5) दिनांक
- (6) हस्ताक्षर

5

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु कुल आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों को पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति 4 किंसां प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

संगीत
कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष

मन्त्री

संगीत
कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री

संगीत
कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था

के शपथ ग्रहण करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. दिनांक है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक को सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, का पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

मंत्री

सत्यापन

संगीता

कोषाध्यक्ष

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर माक्षी है।

अध्यक्ष

मंत्री

संगीता

कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराया होगा।

अध्यक्ष

मंत्री

संगीता
कोषाध्यक्ष

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कौरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था को उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. बुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

- अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह/91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक...०७/दोसा/ 2007-2008

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामस्वरूप अग्रवाल एजूकेशनल एण्ड रिसर्च सोसायटी भण्डावर जिला दोसा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

इह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक दो माह भई सन् 2007 को दोसा में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्था दोसा